# <u>न्यायालय:—व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

# <u>फाइलिंग नंबर—235103001422015</u> <u>व्यवहार वाद कं.—25ए/2017</u> संस्थापित दिनांक—10.07.15

1.चंद्रभानसिह पुत्र प्यारेलाल यादव आयु 52 वर्ष व्यवसाय खेती निवासी ग्राम छपरा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)

वादी

### विरुद्ध

1.मध्यप्रदेश राज्य द्वारा जिला वनमण्डल अधिकारी (डी.एफ.ओ.) जिला अशोकनगर (म0प्र0)

2.वन परिक्षेत्र अधिकारी, वनविभाग रेंज ऑफिस चंदेरी, जिला अशोकनगर (म0प्र0)

3.वन चौकी प्रभारी (डिप्टी रेंजर) वन परिक्षेत्र चंदेरी अंतर्गत चौकी विकमपुर, इमलिया जिला अशोकनगर (म0प्र0)

4.वन चौकी प्रभारी (डिप्टी रेंजर)वन विभाग चौकी ग्राम डंगासरा, वन परिक्षेत्र चंदेरी, जिला अशोकनगर (म0प्र0)

# प्रतिवादीगण

5.मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलैक्टर जिला अशोकनगर (म०प्र०)

### फोरमल प्रतिवादी

वादी द्वारा श्री अशोक शर्मा अधिवक्ता। प्रतिवादीगण द्वारा श्री चौवे अधिवक्ता।

# -// निर्णय//-

# (आज दिनांक 13.01.2018 को घोषित)

- 01. वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम बरखेडा तहसील चंदेरी स्थित भूमि क. 71/8 रकवा 2 हेक्टेयर वादपत्र के साथ नक्से मे अ,ब,स,द, भाग से चिन्हित (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जाएगा) पर स्वत्व घोषण एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है। प्रकरण मे प्रतिवादीगण ने उक्त विवादित भूमि से संबंधित प्रतिदावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उन्हे उक्त विवादित भूमि का स्वामी घोषित किया जावे एवं वादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।
- 02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।
- 03. वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के अनुसार उक्त विवादित भूमि उनके स्वत्व की भूमि है जिस पर वे खेती करते चले आ रहे है। वादी के अनुसार उक्त विवादित भूमि पर ऋण भी प्राप्त किया है कितु प्रतिवादीगण उन्हे विवादित भूमि पर खेती करने से रोक रहे है और धमकी दे रहे है कि उन्हे उक्त विवादित भूमि से बेदखल कर देगें। वादी के अनुसार प्रतिवादीगण उक्त विवादित भूमि को अपने स्वत्व की भूमि बता रहे है जबकि उक्त विवादित भूमि पर वादी का पुस्तैनी आधिपत्य है तथा प्रतिवादीगण का कोई स्वत्व नहीं है। अतः उपरोक्त आधारों पर वादी ने उसका वादपत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है तथा इस आशय की डिक्री चाही है कि उन्हे उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त विवादित भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।
- 04. उक्त वादपत्र के जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार उक्त

विवादित भूमि वन विभाग की भूमि है जिस पर उनका स्वत्व है। प्रतिवादीगण के अनुंसार टोपो सीट के अक्स एवं सर्वे ऑफ इंडिया में वन भूमि को हरे रंग से दर्शया गया है तथा उक्त भूमि विवादित भूमि पर वादी का कोई स्वत्व नहीं है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी ने उक्त विवादित भूमि के संबंध मे यदि कोई पटआ कराया है तो वह अवैधानिक है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को अस्वीकार कर निरस्त करने का निवेदन किया है।

- 05. प्रतिवादीगण द्वारा वादी के विरुद्ध प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है जिसके अंतर्गत उनका निवेदन है कि उक्त विवादित भूमि वन विभाग की भूमि है तथा वह कक्ष क्रमांक पी एफ 180 पर स्थित है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी उक्त विवादित भूमि का स्वात्वाधिकारी नहीं है तथा वादी उक्त विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर खेती करना चाहता है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादीगण ने उनके प्रतिदावे को स्वीकार करने का निवेदन किया है तथा इस आशय की डिक्री चाही है कि उन्हें विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी घोषित किया जावे तथा वादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया गया है। उक्त प्रतिदावे के जबाब में वादी ने अभिवचन किया है कि प्रतिवादीगण ने बिन खसरा खतोनी के प्रतिदावा प्रस्तुत किया है। वादी के अनुसार प्रतिवादीगण ने गलत आधारों पर प्रतिदावा प्रस्तुत किया है। वादी के अनुसार प्रतिवादीगण का वाद प्रारंभ से शून्य एवं अवैधानिक है तथा प्रतिवादीगण कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः उपरोक्त आधारों पर वादी ने प्रतिवादीगण के प्रतिदावे को अस्वीकार कर निरस्त करने का निवेदन किया है।
- 06. वादी एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :--

<u>क्र</u> ं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या ग्राम बरखेडा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे	नहीं ।
	कमांक 71/8 रकवा 2.000 हेक्टेयर वादी के	
	स्वत्व एवं आधिपत्य की है ?	
02.	क्या प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर	नहीं ।
	हस्तक्षेप किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ?	
03.	क्या वादी उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में	नहीं ।
	प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता	
	प्राप्त करने के अधिकारी है ?	
04.	क्या वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त	हॉ
	न्यायालय शुल्क अदा किया है ?	
05.	क्या बीट नानौन के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 180 में	नहीं ।
	स्थित भूमि, जिसे वन विभाग के अक्स एवं सर्वे ऑफ	
	इंडिया के अक्स में लाल रंग से दर्शाया गया है, वन	
	भूमि है ?	
06.	क्या उपरोक्त वादग्रस्त भूमि वन भूमि है ?	नहीं ।
07.	यदि हाँ तो क्या वादी द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण	नहीं ।
	किया जा रहा है ?	
08.	क्या प्रतिवादीगण उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में	नहीं ।
	वादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त	
	करने के अधिकारी है ?	
09	क्या प्रतिदावा में आवश्यक पक्षकारों का दोष है ?	नहीं ।

10.	सहायता एवं व्यय ?	''निर्णयानुसार
		वादी का वाद एवं
		प्रतिवादीगण का
		प्रतिदावा
		अस्वीकार कर
		सव्यय निरस्त
		किया गया।''

## -:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 07. वादी ने अपने वाद के समर्थन में वा.सा. 01 चंद्रभानसिह, वा.सा.2 चालीराजा, वा.सा.3 देशराज, की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है और साथ ही प्र0पी01 लगायत प्र0पी09 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा. 01 राजीवरतन की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से प्र0डी01 लगायत प्र0डी03 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं।
- 08. प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्विलत है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद प्रश्न कमांक 01 लगायत 03 एवं वादप्रश्न कमांक 05 लगायत 08 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद प्रश्न कमांक 04,09 एवं 10 का निराकरण पृथक—पृथक से किया जा रहा है।

#### -:: वादप्रश्न कं. 01 लगायत 03 एवं 05 लगायत 08 ::-

09. वा.सा. 01 चंद्रभानसिंह ने अपने कथन में बताया है कि उक्त

विवादित भूमि उनके स्वत्व की भूमि है जिस पर वह अपने पिता के समय से खेती करता चला आ रहा है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित भूमि पर उनका वटांकन स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवदीगण अनावश्यक उसके कब्जे में हस्तक्षेप कर रहे है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित भूमि उनके स्वत्व की भूमि है जिसमे हस्तक्षेप करने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित भूमि का उन्हे शासन से पटटा हुआ था। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित भूमि का उन्हे शासन से पटटा हुआ था। उक्त साक्षी के अनुसार उसे पटवारी ने तीस वर्ष पूर्व पटटा किया था। वा.सा.2 चालीराजा एवं वा.सा.3 देशराज ने अपने मुख्य परीक्षण मे बताया है कि उन्होंने उक्त विवादित भूमि देखी है। उक्त साक्षीगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि पर वादी का कब्जा है तथा वे ही उसके मालिक है। दोनो साक्षीगण के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे मे हस्तक्षेप किया जा रहा है। वा.सा.2 के अनुसार उसके समक्ष कोई सीमांकन नहीं हुंआ तथा उसे जानकारी नहीं है कि किस सन मे विवादित भूमि का पटटा हुआ था। इसी प्रकार वा.सा.3 के अनुसार उसके विवादित भूमि का कभी कोई सीमांकन नहीं हुआ।

- 10. प्र.सा.1 राजीवरतन जो कि वन विभाग का कर्मचारी है ने अपने कथन में बताया है कि वह पी एफ कमांक 180 का वन रक्षक था तथा उसने विवादित भूमि देखी है जो वन विभाग के कक्ष कमांक पी एफ 180 के अंतर्गत आती है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने विवादित भूमि पर जीपीएस रीडिंग ली थी जिसके अनुसार विवादित भूमि वन विभाग की भूमि हो रही थी। उक्त साक्षी के अनुसार वादी विवादित भूमि पर पहले से खेती करता चला आ रहा है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे जानकारी नहीं है कि संपूर्ण भूमि मध्यप्रदेश शासन की है।
- 11. प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य वादपत्र के अभिवचनों के अनुसार दिये है। वादी की साक्ष्य

अखण्डनीय रही है किंतु प्रतिवादीगण की मौखिक साक्ष्य भी अखंण्डनीय रही है। प्रतिवादीगण एवं वादी की मौखिक साक्ष्य के आधार पर स्वत्व संबंधी कोई निष्कर्ष दे देना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि वा.सा.1 ने अपनी साक्ष्य मे यह कथन किया है कि उक्त विवादित भूमि उन्हे शासन से पटटे पर प्राप्त हुई थी। इस प्रकार यदि कोई भूमि पटटे पर प्राप्त होती है तो पटटाधारी ऐसी भूमि का स्वत्वाधिकारी नहीं हो जाता। वादी ने अपनी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि शासन ने उसे उक्त विवादित भूमि का भूमि स्वामी घोषित कर दिया था। इस प्रकार वादी स्वयं यह कहकर आ रहा है कि वह उक्त विवादित भूमि का पटटाधारी है तो ऐसी दशा मे वह उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी नहीं हो सकता।

12. वादी ने जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किये है उनमें वर्ष 2014:15 के खसरा प्र0पी01 तथा नामांतरण पंजी प्र0पी09 ही ऐसे दो राजस्व दस्तावेज है जिनमे वादी का उक्त विवादित भूमि पर कब्जेदार के रूप मे दर्शित हो रहा है। उल्लेखनीय है कि वादी ने वर्ष 2014 के पूर्व का कोई राजस्व दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर स्वत्व संबंधी कोई निष्कर्ष दिया जा सके वह भी ऐसी दशा मे जबिक वादी स्वय यह कह रहा है कि वह उक्त विवादित भूमि पर एक लंबे समय से काबिज है किंतु वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी ने अन्य जो दस्तावेज प्रस्तुंत किये है वे धारा 80 सीपीसी प्र0पी02 तथा डाक रसीद प्र0पी03 लगायत प्र0पी08 है। प्र0पी02 लगायत प्र0पी08 के दस्तावेजों से भी वादी को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है मात्र वर्ष 2014—15 के खसरों के आधार पर वादी विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी घोषित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत मांगीलाल वि0 सन्वन्त एवं अन्य 1988 राजस्व निर्णय 302 अनुकरणीय है जिसमें निश्चित किया गया है कि राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियां किसी भी व्यक्ति को स्वत्व संबंधी कोई हक प्रदान नहीं करती है, विचाराधीन

# प्रकरण की परिस्थितियों मे भी अनुकरणीय है।

- 13. प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये है उनमें मात्र पंचनामा प्र0डी01, टोपो सीट प्र0डी02 एवं नक्सा प्र0डी03 है। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त दस्तावेज वन विभाग द्वारा तैयार किये गये है। उक्त दस्तावेजों में सर्वे क्रमांक आदि का उल्लेख नहीं है जबिक शासन के राजस्व दस्तावेजों में खसरे आदि का उल्लेख है। प्रतिवादीगण का एक कर्तव्य था कि वह यह स्पष्ट करे कि उसे उक्त विवादित भूमि मध्यप्रदेश शासन की किस अधिसूचना के अंतर्गत प्रदान की गई तथा किस वर्ष एवं दिनांक को प्रदान की गई है। प्रतिवादीगण ऐसा करने में असर्मथ रहा है मात्र टोपो सीट एवं नक्से के आधार किसी निष्कर्ष पर पहुचना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। प्राज्जी01 के पंचनामें से भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही क्योंकि प्र0डी01 के पंचनामें में उक्त विवादित भूमि के आसपास कोनसी भूमियां है इसका कोई उल्लेख नहीं है। उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे है कि उक्त विवादित भूमि उन्हें मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त हुई है जिसे वन भूमि घोषित किया गया है।
- 14. उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वह उक्त विवादित भूकि का स्वत्वाधिकारी है तथा उपरोक्त आधार पर वादी यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि प्रतिवादीगण उसके आधिपत्य में हस्तक्षेप कर रहा है और इस प्रकार वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण भी यह प्रमाणित करने में असफल रहे है कि उक्त विवादित भूमि वनभूमि है तथा यह प्रमाणित नहीं होता कि वादी द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है एवं इस प्रकार प्रतिवादीगण वादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 01

लगायत 03 एवं 05 लगायत 08 नकारात्मक निर्णीत किए जाते हैं।

#### -:: वादप्रश्न कं.-04 ::-

15. वादी ने प्रस्तुत वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बावत प्रस्तुत किया है। वादी ने जो न्यायशुल्क चश्पा किया है वह न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 7 क प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। अतः वादी द्वारा वाद का सही मूल्यांकन कर उचित न्यायशुल्क अदा किया गया है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 04 सकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

#### -:: वादप्रश्न कं.-09 ::-

16. प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य से ऐसा कहीं प्रकट नहीं होता कि वादी द्वारा प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादी ने प्रकरण में सभी आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाया है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 09 नकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

#### -:: <u>वादप्रश्न कं.-10</u> ::-

- 17. साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादी अपना वाद तथा प्रतिवादीगण अपना प्रतिदावा प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। परिणामतः वादी का वाद एवं प्रतिवादीगण का प्रतिदावा अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया जाता है।
- 18. वाद का संपूर्ण व्यय वादी द्वारा वहन किया जाएगा एवं प्रतिदावा का

संपूर्ण व्यय प्रतिवादीगण द्वारा वहन किया जाएगां। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज़फर इकबाल) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 चंदेरी, जिला अशोकनगर (ज़फर इकबाल) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 चंदेरी, जिला अशोकनगर